कन्या सुमंगला योजना

संक्षिप्त विवरण–उ0प्र0 राज्य के निवासी अधिकतम् दो बच्चों के परिवार की बेटियों को जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक न हो, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छः चरणों में लाभान्वित किया जायेगा। बालिका के जन्म पर रू0–2000=00, बालिका के 01 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर रू0–1000=00, बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश के उपरान्त रू0–2000=00, बालिका के कक्षा छः में प्रवेश के उपरान्त रू0–3000=000 तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण वह बालिकायें जिन्होंने स्नातक या 02 वर्षीय या उससे अधिक समय के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, उसे एक मुश्त रू0–5000=00 का लाभ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दिलाया जायेगा।

अनिवार्य पात्रताः– पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं–

1–लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।

2–लाभार्थी की पारिवारिक आय अधिकतम रूपये 3 लाख हो।

3–परिवार की अधिकतम 02 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।

4–लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 02 बच्चे हों।

5–यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुडवा बालिकायें ही होती हैं, केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेखः–निम्नलिखित हैं–

1–बैंक पासबुक की छायाप्रति।

2–माता–पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छायाप्रति।

3–आवेदक का आधार कार्ड उपलब्ध न हो तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि।

4–परिवार की वार्षिक आय के सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र अथवा स्व प्रमाण पत्र।

5–निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।

6–बालिका की नवीनतम फोटो।

7–आवेदक व बालिका का नवीतम संयुक्त फोटो।

जनपद स्तर पर योजना का संचालन कर रहे अधिकारी का नामः–सुशील कुमार सिंह

पदनामः–जिला प्रोबेशन अधिकारी

मो0 नं0ः–7518024017

योजना का लक्ष्यः–........................

प्रदेश या मण्डल स्तर पर योजना की उपलब्धियांः–..........................